न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/2017	25–01–2017	17–05–2018

1–धनसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह जाति गुर्जर निवासी मैथना तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

असल रेस्पाडेन्ट

2–मानसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह जाति गुर्जर निवासी मैथना तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

तरतीबी रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कठूमर का निर्णय दिनांक 02.08.1991 नामान्तकरण संख्या 312 ग्राम मैथना तह0 कठूमर जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील अपीलान्टस

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 02.08.1991 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 312 ग्राम मैथना, तहसील कठूमर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ग्रम मैथना तहसील कठूमर की आराजी अपीलांट के पिता रामसिंह की कब्जे काश्त की आराजी थी। रामसिंह का स्वर्गवास होने के बाद उनके 2 पुत्र धनीराम व मानसिंह के नाम विरासत का इंतकाल दर्ज किया गया, हल्का पटवारी रामसिंह के पुत्र मानसिंह व दूसरे पुत्र धनीराम के स्थान पर घनश्याम नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त निर्णय करते समय तहसीलदार द्वारा ना अपीलांट को बुलाया गया और ना किसी प्रकार की जांच की गई। इंतकाल संख्या 312 में अपीलांट का नाम धनसिंह के स्थान पर घनश्याम अंकित कर दिया, जबकि अपीलांट का नाम ग्राम पंचायत के राशन कार्ड में, माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका में एवं आधार कार्ड में धनसिंह अंकित है। गांव में भी अपीलांट धनसिंह के नाम से ही जाना जाता है। अपीलांट को उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 13.01.2017 को हुई, तो अपीलांट द्वारा उक्त इंतकाल की नकल के लिए प्रा0पत्र लगाकर नकल प्राप्त की गई। अपीलांट द्वारा जानकारी की दिनांक से तुरंत अपील पेश की गई। फिर भी देरी के लिए प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.1991 इंतकाल संख्या 312 ग्रम मैथना आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में अपीलांट का नाम घनश्याम के स्थान पर धनसिंह किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 02.08.1991 के विरूद्ध दिनांक 25.01.2017 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 26 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है, फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय वारिसान के सही नामो की जांच नहीं की गई और अपीलांट का नाम धनसिंह के स्थान पर घनश्याम दर्ज कर दिया गया। अतः प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान की पुनः जांच कर विधि समत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)
ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)